भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं० 3467

दिनांक 17 दिसम्बर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

बढ़ता व्यापार घाटा

3467. श्री वी. के. श्रीकंदनः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विगत कई वर्षों में भारत का व्यापार घाटा तेजी से बढ़ा है;
(ख) यदि हां, तो विगत दो वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान हुए व्यापार घाटे का माहवार ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या चीन से होने वाला भारी आयात बड़े व्यापार घाटे का मुख्य घटक है;
(घ) क्या हमारे निर्यात में कमी भी भारी व्यापार घाटे में योगदान देती है; और
(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

(क) और (ख) विगत दो वर्षों और चालू वर्ष के लिए समग्र व्यापार घाटे/शेष (माल एवं सेवाएं) का माहवार ब्यौरा निम्नानुसार हैः

(मूल्य बिलियन अमेरीकी डॉलर में)

महीना	2022-23	2023-24	2024-25
अप्रैल	-8.36	-2.62	-5.94
मई	-12.19	-11.41	-9.77
जून	-10.92	-7.00	-7.98
जुलाई	-15.24	-6.52	-8.95
अगस्त	-13.58	-10.37	-15.81
सितंबर	-15.03	-6.22	-4.67
अक्टूबर	-14.48	-15.42	-9.90
नवंबर	-10.47	-6.31	
दिसंबर	-7.84	-2.05	
जनवरी	-3.86	0.14	
फरवरी	-4.15	-5.61	
मार्च	-5.48	-2.15	
कुल	-121.59	-75.56	-63.02

स्रोतः डीजीसीआइएंडएस और आरबीआई

(ग) और (घ) व्यापार घाटा वैश्विक और घरेलू कारकों जैसे घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में मांग और आपूर्ति, घरेलू और विदेशों की जीडीपी वृद्धि, मुद्रा में उतार–चढ़ाव, अंतरराष्ट्रीय कीमतें आदि के कारण विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के आयात और निर्यात में सापेक्ष उतार–चढ़ाव पर निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त, भारत का माल व्यापार घाटा विभिन्न कारणों से अधिक रहा है, जिनमें यह तथ्य भी शामिल है कि अधिकांश आयातित वस्तुएं, पूंजीगत वस्तुएं, मध्यवर्ती वस्तुएं और कच्ची सामाग्रियां हैं और इनका उपयोग भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार, सोना, पेट्रोलियम और बिजली जैसे तेजी से विस्तार करने वाले क्षेत्रों की मांग को पूरा करने के साथ–साथ घरेलू विनिर्माण और निर्यात के लिए किया जाता है।

साथ ही, भारत का समग्र (माल और सेवाएं) निर्यात अप्रैल–अक्टूबर, 2023–24 के दौरान 436.51 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वर्ष 2024–25 की इसी अवधि के दौरान 468.46 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है, जो 7.32% की सकारात्मक वृद्धि को दर्शाता है।

(ङ.) भारत सरकार ने अपने व्यापार घाटे को कम करने के लिए घरेलू क्षमताओं को बढ़ाने, निर्यात को बढ़ावा देने, आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने, आयात के वैकल्पिक स्रोतों की खोज करने और आर्थिक लचीलापन बढ़ाने के उद्देश्य से विभिन्न सक्रिय उपाय किए हैं। यह भारत के व्यापक 'आत्मनिर्भर भारत' दृष्टिकोण का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य भारत को एक मजबूत विनिर्माण केंद्र बनाना और किसी एक देश पर निर्भरता कम करना है। इसके अतिरिक्त, वैश्वीकरण के इस युग में, जब भारत तेजी से वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के साथ जुड़ रहा है, तो ऐसी एकीकरण प्रक्रिया में आयात भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना निर्यात। इसके अतिरिक्त, सरकार ने देश से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:–

(i) व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर) विदेशी कंपनियों द्वारा अनुचित व्यापार प्रथाओं की सक्रिय रुप से निगरानी करता है और सुधारमूलक उपचारात्मक कार्रवाई की सिफारिश करता है।

(ii) सरकार उपभोक्ताओं और व्यवसायों के बीच भारतीय निर्मित उत्पादों को खरीदने के लिए जागरुकता को बढ़ावा देकर वोकल फॉर लोकल अभियान को भी प्रोत्साहित कर रही है, जिसका उद्देश्य आयातित वस्तुओं की मांग को कम करना है।

(iii) भारत की विनिर्माण क्षमताओं और निर्यात को बढ़ाने के लिए 14 प्रमुख क्षेत्रों (1.97 लाख करोड़ रुपये के प्रोत्साहन परिव्यय के साथ) के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआइ) स्कीम कार्यान्वित की जा रही है। उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआइ) स्कीम इलेक्ट्रॉनिक्स, भेषज और नीवकरणीय ऊर्जा जैसे उच्च विकास वाले क्षेत्रों में विनिर्माण को प्रोत्साहित करके भारत को वैश्विक मूल्य श्रृंखला में एक प्रमुख प्रतिस्पर्धी के रूप में स्थापित कर रही है। पीएलआइ स्कीम महत्वपूर्ण एफडीआइ को आकर्षित करके और देश को महत्वपूर्ण उत्पादन नेटवर्क में एकीकृत करके वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में भारत की भूमिका को मजबूत करती है।

(iv) नई विदेश व्यापार नीति 31 मार्च, 2023 को लॉन्च की गई है और यह दिनाक 1 अप्रैल, 2023 से लागू है।

(v) पूर्व एवं पश्च शिपमेंट रुपया निर्यात क्रेडिट पर ब्याज समकरण स्कीम को दिनांक 31.12.2024 तक बढ़ाया गया है।

(vi) निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कई स्कीमों नामतः निर्यात हेतु व्यापार अवसंरचना स्कीम (टीआइईएस) और बाजार अभिगम पहल (एमएआइ) स्कीम के माध्यम से सहायता प्रदान की गई।

(vii) कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) के पास निर्यात संबंधी मूलभूत अवसंरचना को बढ़ाने, क्रेता–विक्रेता बैठकों में भाग लेने आदि के लिए निर्यातकों को सहायता प्रदान करके कृषि–उत्पादों के निर्यात को सुविधाजनक बनाने के लिए वित्तीय सहायता हेतु केन्द्रीय क्षेत्र की विशिष्ट स्कीम है।

(viii) एपीडा द्वारा राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एनपीओपी) का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में प्रमाणन निकायों का प्रत्यायन, जैविक उत्पादन हेतु मानक, जैविक कृषि और विपणन संवर्धन आदि शामिल हैं।

(ix) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीइडीए) द्वारा मूल्य संवर्धन हेतु अवसंरचना सुविधाओं का उन्नयन करने, परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित करने, अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेलों में भाग लेने, और निर्यात से अभिप्रेरित जलकृषि उत्पादन आदि के लिए तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

(x) भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार लाने और भारतीय बाजार में निम्न गुणवत्ता की वस्तुओं के आयात को रोकने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (बीआइएस) द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्यूसीओ) अधिसूचित किए गए हैं।

(xi) श्रम उन्मुख क्षेत्र में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य और केंद्रीय लेवी और करों में छूट (आरओएससीटीएल) स्कीम 07.03.2019 से लागू की गई है।

(xii) निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट (आरओडीटीईपी) स्कीम 01.01.2021 से कार्यान्वित की गई है। दिनांक 15.12.2022 से भेषज, कार्बनिक और अकार्बनिक रसायन और लोहे और इस्पात के सामान जैसे शामिल नहीं किए गए क्षेत्रों को भी आरओडीटीईपी के तहत शामिल किया गया है।

(xiii) प्रत्येक जिले में निर्यात क्षमता वाले उत्पादों की पहचान करके इन उत्पादों का निर्यात करने के लिए बाधाओं को दूर करने और जिले में रोजगार सृजित करने के लिए स्थानीय निर्यातकों/ विनिर्माताओं को सहायता प्रदान करने के लिए निर्यात हब के रुप में जिले पहल की शुरुआत की गई है।

(xiv) व्यापार को सुविधाजनक बनाने और निर्यातकों द्वारा मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) के उपयोग को बढ़ाने के लिए उद्‌गम प्रमाणपत्र के लिए सामान्य डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है।

(xv) भारत के व्यापार, पर्यटन, प्रौद्योगिकी और निवेश के लक्ष्यों को बढ़ावा देने हेतु विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों की सक्रिय भूमिका में वृद्धि की गई है।

(xvi) विदेश में स्थित वाणिज्यिक मिशनों, निर्यात संवर्धन परिषदों, पण्य बोर्डों/प्राधिकरणों और उद्योग संघों के साथ निर्यात निष्पादन की नियमित रुप से निगरानी और समय–समय पर सुधारात्मक उपाए किए जाते हैं।

(xvii) सरकार ने 11 सिंतबर, 2024 को ट्रेड कनेक्ट ई–प्लेटफार्म लॉन्च किया है। ट्रेड कनेक्ट ई–प्लेटफार्म अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर एक सूचना और मध्यस्थता मंच है, जो नए और मौजूदा दोनों निर्यातकों के लिए व्यापक सेवाएं प्रदान करने के लिए विदेश में स्थित भारतीय मिशनों और वाणिज्य विभाग और अन्य संगठनों के अधिकारियों को एक साथ लाता है।

***